न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/88)

एल.टी.सी. कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधि रामप्रताप तावणीया पुत्र मालूराम जी जाति ब्राह्मण कार्यालय पताः बी–15, समता नगर, बीकानेर हाल कार्यालय पता 156 नवलगढ हाऊस, संसारचन्द्र रोड़ जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री राजेश व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 29.03.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2021 के द्वारा अपीलान्ट की औद्योगिक ग्रेडिगं स्टोरेज प्लाट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के संबध में औद्योगिक रूपान्तरित भूमि पर गोदाम निर्माण का महालेखाकार जांच दल आय–व्यय के आडिट आक्षेप पर प्रकरण में संबधित अन्तर राशि 1643548/–रूपये खजाना करवाई जाकर चालन की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करने बाबत तहसीलदार पीलीबंगा को लिखा। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा जो शास्ती अधिरोपित की गई है,उसे निरस्त फरमाने और उस नोटिस के आधार पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा जो कुर्की की कार्यवाही करवाई जा रही है, उसे निरस्त धोषित करने का निवेदन किया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4\. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो और लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि एल.टी.सी. कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड बी–15, समता नगर बीकानेर मार्फत डायरेक्टर द्वारा वाके चक 47 एल.एल डब्ल्यू ग्राम पंचायत खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के प.नं. 41/236 (30) के किला नं. 22/253, 23/253, 24/253, 25/139 में कुल 0898 हैक्टर प. नं. 41/237 (31) के किला नं. 2/253, 3/253, 4/253, 5/139 कुल 0.898 हैक्टर में दोनो पत्थर नं. की कुल 1.796 हैक्टर (17960 वर्गमीटर) के औद्योगिक भूपरिवर्तन के लिए मार्केटिग इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट स्कीम (ग्रेडिग स्टोरेज प्लाट) प्रयोजनार्थ के लिए जिला कलक्टर हनुमानगढ के यहा वर्ष 2011 मे आवेदन किया कम्पनी की समस्त औपचारिमताओ को पूर्ण करते हुए संदेह प्रिमियम राशि के रूप में 68608/–रूपये जरिये चालान अदा किया। राजस्थान सरकार की अधिसूचना 20.03.2008 के अनुसार औद्योगिक ईकाई का मानचित्र स्वीकृत करवाया और जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा कम्पनी के हक मे सम्परिवर्तन आदेश 08.06.2011 को स्वीकृत किया तत्पश्चात कम्पनी द्वारा ग्रेडिग स्टोरेज प्लाट का निर्माण करवा कर अपना स्टोरेज प्लाट शुरू करवाया, जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष महालेखाकार जांच दल ने उपरोक्त प्रकरण की निरीक्षण के दौरान वर्ष 2019 में कम्पनी को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना 1643548/– रूपये राशि जमा करवाने का आदेश जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने आप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है, निरिक्षण दल ने जो बिन्दु अपने निरीक्षण रिपोर्ट मे तय किये गये थे उससे बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू उपयोग परिवर्तन आदेश वर्ष 2011 में जारी किये गये थे उसे वर्ष 2021 में परिवर्तित कर जो शास्ती अधिरोपित की गयी है वह लिमिटेशन से बाहर है, समय अवधि से बाहर जाकर किया गया जिसकी कानून ईजाजत नही देता है। राजस्थान सरकार द्वारा जो अधिसूचना 23.7.2007 को जारी की गई थी उससे नियम –2 मे जो परिभाषाए दर्शित की गई है उसके खण्ड 2 (ख) वाणिज्यक प्रयोजन और खण्ड (छः) औद्यागिक प्रयोजन की परिभाषा दी गई है जिस पर बिना किसी

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गौर किये ही केवल मात्र गोदाम की परिभाषा की है जो गलत की गयी है। ग्रेडिग स्टोरेज को राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि से अंकृषि प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण नियमो की स्पष्ट अवहेलना है क्योकि रूपान्तरण के नियमो में ईट–भट्टा की स्वीकृति में जो ईटो के रखने के लिये जगह का प्रयोग किया जाता है उसे औद्योगिक पूर्ण ईकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, इसी तरह ग्रेडिग स्टोरेज को ही पूर्ण औद्योगिक ईकाई के रूप में परिभाषित किया गया है इन स्टोरेजों को वाणिज्यिक मानने का कानूनी कोई आधार नही है फिर भी नियमो से बाहर जाकर इसे महालेखाकार जयपुर आय–व्यय द्वारा वाणिज्यिक मानने कानूनी भूल की है जो क्षम्य नही है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे और जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा जो शास्ती अधिरोपित की गई है, उसे शून्य व निरस्त घोषित किया जावे और उस नोटिस के आधार पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा जो कुर्की की कार्यवाही करवाई जा रही है, उसे निरस्त धोषित किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा ऑडिट आंक्षेप के आधार पर जिला कलक्टर हनुमानगढ के द्वारा जारी वसुली के निर्णय को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए एकतरफा मानते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो के कथनो, लिखित बहस, सयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सम्पत्ति एवं दायित्वो के आदि के विवरण का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि पर कृषि विपणन ग्रेडिग एवं मानिकीकरण हेतु ईकाई की स्थापना की गई है जो कि उधोग की श्रेणी मे आता है। उक्त उधोग मे मुख्य लागत लगभग 90 प्रतिशत गोदाम निर्माण की होना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में जांच दल द्वारा गोदाम निर्माण की रिपोर्ट को

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वाणिज्यिक गतिविधि का आक्षेप लिया जाना न्यायोचित नही है। जांच दल के द्वारा जो आक्षेप लिया गया है वह वसुली हेतु कोई आदेश नही है। जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्राकृतिक न्याय के तौर पर अपीलान्ट का पक्ष सुनकर उपरोक्त तथ्यो के अधार पर आक्षेप का समूचित जबाव जांच दल को प्रेषित कर आंक्षेप निरस्त करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी जिसका उक्त प्रकरण मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये कथनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर जांच दल को आंक्षेप निरस्त किये जाने हेतु लिखा जावे। तदनुसार कार्यवाही की जावे।

7. अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गोरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।